न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 1040/2018

सोहन कंवर पत्नि स्व. हनुमान सिंह जाति राजपूत, निवासीः ग्राम मालपुरा डूंगर, तहसील व जिला जयपुर जरिये मुख्त्यारआम श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत, निवासीः प्लॉट नंबर ए–116, घाट के बालाजी, आगरा रोड, जयपुर।

––अपीलार्थी

बनाम

1. मन्नी पत्नि रूपनारायण, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम कूँथाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. लछमा पत्नि गोपी, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम मालपुर डूंगर, सुमेल, तहसील व जिला जयपुर।
3. गोपीराम पुत्र स्व. लादू
4. कैलाश पुत्र बालू
5. प्रभु पुत्र बालू
6. काल्या पुत्र बालू
7. छोटू पुत्र बालू
8. नर्बदा देवी पत्नि बालू
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम मालपुर डूंगर सुमेल, तहसील व जिला जयपुर।
9. गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
10. दीपू पुत्र लक्ष्मीनारायण
    समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम राजपुरा, पाटलवास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर वाद संख्या 105/2007 उनवानी मन्नी देवी बनाम गोपीराम अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी

निर्णय दिनांकः 30.12.2019

–: निर्णय :–

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के वाद संख्या 105/2017 बउनवानी मन्नी देवी बनाम गोपीराम में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 11.01.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हिन्दू मुश्तर्का परिवार के सदस्य है। वादीगण के बुजुर्गो के जमाने से ग्राम मालपुरा डूंगर पटवार क्षेत्र सुमेल तहसील व जिला जयपुर में खसरा नंबर 62/119 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 48 रकबा 16 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 53 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 57 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 55 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 60 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। खसरा नंबर 62/119 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता लादू वल्द जयकिशन के नाम खातेदारी दर्ज थी। खसरा नंबर 48 में रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 53 में रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 57 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा लादू व जगन्नाथ पुत्रान जयकिशन के नाम खातेदारी दर्ज थी। खसरा नंबर 55 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 60 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा लादू व जगन्नाथ पुत्रान जयकिशन हिस्सा बराबर 1/2 व मूल्या पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज थी। लादू का देहान्त हो गया। लादू की मृत्यु के पश्चात् लादू के तीन पुत्र व दो पुत्रियां एवं लादू की पत्नि उनके वारिसान मौजूद थे जो क्रमशः बालू, गोपीराम व रामू, मन्नी, नारायण व लादू की पत्नि सुन्दर थे। इनमें से भी बालू, रामू, नारायणी, सुन्दरी का देहान्त हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 गोपी के भाई बालू की मृत्यु के पश्चात् उसके पांच वारिस है जिनमें कैलाश, प्रभु, काल्या, छोटू व नर्बदा है। मृतक लादू के हिस्से में 6 वारिसान है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजीयात में लादू की मृत्यु के पश्चात् लादू के हिस्से की सम्पत्ति में लादू की अंतिम इच्छा से सभी वारिसान का हिस्सा 1/6 है। उपरोक्त वारिसान में से लादू की पत्नि सुन्दरी का वर्ष 1999 में देहान्त हो गया। लादू की पत्नि सुन्दरी वादी संख्या 2 के पास रहती थी और वादी संख्या 2 ने ही सुन्दरी की सेवा सुश्रुषा व देखभाल की थी। वादी संख्या 2 की सेवा से प्रसन्न होकर सुन्दरी ने अपने जीवनकाल में ही मृतक लादू की सम्पत्ति में से अपना हिस्सा 1/6 के संबंध में वादी संख्या 2 को अपना वसीयती उत्तराधिकारी होने की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार वादी संख्या 2 उपरोक्त वर्णित आराजीयात में मृतक लादू के हिस्से की सम्पत्ति में मृतका सुन्दरी के हिस्सा 1/6 की कानूनन अधिकारिणी स्वामी व काबिज है। मृतक लादू के हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिस्सा 1/6 के हिसाब से समान रूप से मालिक व उस पर काबिज चले आ रहे है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से राजस्व अंकन अकेले ही मृतक लादू के हिस्से में से 1/3 हिस्से की खातेदारी क्रमशः बालू, रामू, गोपी के नाम दर्ज कर दिया जबकि मृतक लादू के हिस्से की सम्पत्ति में बालू, रामू, गोपी हिस्सा 1/6 के हिसाब से ही स्वामी व अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मृतक लादू की सम्पत्ति में हिस्सा 1/6–1/6 के हिसाब से अपने नाम उपरोक्त आराजीयात में इन्द्राज करवाने के कानूनन अधिकारी है। जमीनो के भाव बढने से प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गई है इस कारण वह गलत इन्द्राज के आधार पर आराजीयात को बेचान करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण द्वारा यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण वाद स्वीकार कर ग्राम मालपुरा डूंगर पटवार क्षेत्र सुमेल तहसील व जिला जयपुर में खसरा नंबर 62/119 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 48 रकबा 16 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 53 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 57 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 55 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 60 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि में मृतक लादू के

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हिस्से की भूमि में हिस्सा 1/3 के बजाय हिस्सा 1/6 के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में पारिवारिक समझौते के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजीयात का पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 11.01.2018 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजीनामा की वैधानिकता एवं उसमें वर्णित तथ्यों की एवं राजस्व रिकॉर्ड की कोई जांच नहीं की एवं ना ही राजीनामा की विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये राजीनामा तस्दीक किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा अनुसार निर्णय पारित किया है किन्तु ना तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को डिक्री किया है एवं ना ही खारिज किया है, केवल मात्र राजीनामा को आधार मानकर गलत निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2018 खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये।

4. वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर निर्णय दिनांक 11.01.2018 के माध्यम से स्वीकार किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा बतौर पक्षकार कायम नहीं किया गया था इस कारण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुति के साथ धारा 96 सी.पी.सी. वास्ते अपील इजाजत प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी गोपीराम पुत्र लादू से विवादग्रस्त आराजीयात में गोपीराम के हिस्से 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 10.09.1991 को क्रय किया गया था। उक्त इकरारनामा की विशिष्ट पालना हेतु अपीलार्थीया द्वारा एक वाद माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी गोपीराम के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था जिसकी संपूर्ण पत्रावली व निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि को देखने से स्पष्ट है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के हक में निर्णय दिनाक 14.12.2013 को उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में डिक्री पारित की गई है। जिसकी इजराय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर गोपीराम के वारिसान के द्वारा उज्रदारी प्रार्थना पत्र क्रमांक 12/2006 पेश किया जो माननीय सिविल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिया मन्नीदेवी व लक्षमा देवी ने एक अन्य उज्रदारी प्रार्थना पत्र क्रमांक 33/2017 दिनांक 30.01.2017 प्रस्तुत किया जो दिनांक 12.02.2018 को खारिज किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कमी पूर्ति होने के कारण दिनांक 04.12.2017 को कमी पूर्ति पूरी की गई। तत्पश्चात् दिनांक 04.12.2017 को पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज रजिस्टर की गयी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादिया को वाद की कमी पूर्ति किये जाने के पश्चात् दिनांक 04.12.2017 को वाद रजिस्टर करवाते समय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर जिला जयपुर के यहां से अपीलार्थीया के हक में हुई विशिष्ट अनुपालना की डिक्री की संपूर्ण जानकारी थी। वादिया द्वारा अपीलार्थीया के पक्ष में हुई डिक्री दिनांक 14.12.2013 की संपूर्ण जानकारी होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलार्थीया को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी बतौर पक्षकार कायम नहीं किया गया। चूंकि अपीलार्थीया के पक्ष में माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.12.2014 को उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में डिक्री जारी की जा चुकी है इस कारण अपीलार्थीया के अपीलाधीन निर्णय से वादग्रस्त भूमि में हित प्रभावित होना पाये जाते है। इस कारण अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। चूंकि अपीलार्थीया अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में बतौर पक्षकार कायम नहीं थी। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को न होना स्वाभाविक है, फलस्वरूप इसका ज्ञान अपीलार्थीया को न होने से अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार कायम न कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से एवं राजीनामा में अपीलान्ट बतौर पक्षकार न होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय 11.01.2018 खारिज योग्य पाया जाता है। फलस्वरूप मेरे विनम्र मत में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11. 01.2018 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीया का पक्ष सुनकर, साक्ष्य ग्रहण कर, गुणावगुण के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान दिनांक 27.01.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर